



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श10)

(सं0 पटना 425) पटना, बृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

18 फरवरी 2021

I/E 5 u0fo0@xBu&26@2020&620/u0fo0,ovk0fo0— बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत मोतीपुर का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4368 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद् के रूप में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद् मोतीपुर	रतनपुरा-213 सेंदुवारी पुरुषोत्तम-212 (1) सेंदुवारी गज सिंह-211 बखरी-214 टोला महना टांडा-235 मोहम्मदपुर बलमी-227	कल्याणपुर हरौना, नरियार, महिमा गोपीनाथपुर, मोहम्मदपुर बलमी (सभी आंशिक)	उत्तर- मोहम्मदपुर बलमी, पूर्वी बरियारपुर-204 दक्षिण- जहाँगीरपुर एवं महिमा गोपीनाथपुर-232 पूरब-नरियार एवं ब्रह्मपुरकर्मण-210, 237 पश्चिम-बरुराज (पूर्वी) एवं मोहम्मदपुर बलमी-231, 227	46288

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद् मोतीपुर कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

fcgkj&jkT;iky d vkn'k l]
vjfoUn dekj >k]
ljdkj d l;Dr lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 425-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>